कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612084/265635-7 Fax 0291-2612050

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4892. दिनांक– 05/12/2022

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 5 बैठक दिनांक 01.11.2022 को उपायुक्त (जोन 5) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 175/1, रकबा 5262.85 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नही होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
5. प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है व आंशिक भाग श्मशान व कब्रिस्तान भूमि प्रयोजनार्थ आरक्षित है जिसका सर्वे मानचित्र पर अंकन किया जाये व केवल आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के पट्टा विलेख जारी किये जाये।

एजेण्डा संख्या	विषय
02	राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 184 रकबा 5074.03 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के पैरा संख्या 10 पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली में सग्लित कार्यालय तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार उपलब्ध पॅहुच मार्ग के संबंध में जोन स्तर से जॉच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार (जोन5) जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियाजक(जोन5) जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता (जोन5) जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन5) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4893 – 98. दिनांकः– 05/12/2022

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन 5, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन 5, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन 5)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर